



# विकसित बिहार के 7 निश्चय बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना



Advt. No. – SPMU/01/2025

स्मार सूचना

Date : 29 April, 2025

विभाग द्वारा प्रकाशित सूचना Advt.No-spmu/03/2024 दिनांक-18.10.2024 के द्वारा सूचित किया गया था कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत बिहार राज्य अविस्थित निजी संस्थानों के लिए जो मानक निर्धारण की गई थी, उसकी कंडिका-1 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि " MNSSBY पोर्टल के समानांतर संस्थानों के लिए एक अन्य पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। वैसे सभी संस्थान जिनके द्वारा अब तक NAAC के लिए आवेदन नहीं किए गए हैं। वैसे सभी संस्थान उस पोर्टल पर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए विहित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध करवायेंगे। यह जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना उनके लिए अनिवार्य होगा।"

इस प्रकाशित सूचना के आधार पर विभाग द्वारा बिहार राज्य अविस्थित सभी निजी संस्थानों के लिए एक नूतन पोर्टल यथा- <https://bsccbihar-iiga.bihar.gov.in> बनाई गई है। उक्त पोर्टल पर बिहार राज्य अविस्थित संस्थानों द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित कार्य किया जाना है:-

- MNSSBY पोर्टल पर पूर्व से अंकित संस्थानों के साथ साथ नए संस्थान/महाविद्यालयों को विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए नूतन पोर्टल के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- नूतन संबद्धता प्राप्त संस्थानों को MNSSBY पोर्टल पर इस योजना से जोड़ने से पूर्व इस पोर्टल के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- सभी संस्थान का अपना Website होना अनिवार्य है जिसमें संस्थान के संबद्धता, Faculty, Placement, Course wise fee(without hidden fees), Syllabus, Examination Curriculum, Student details, Student's feedback इत्यादि की विवरणी होना अनिवार्य है।
- नूतन पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु संस्थानों को AISHE Code के माध्यम से पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
- पूर्व से MNSSBY पोर्टल पर अंकित संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सत्र-2025-26 से योजना का लाभ तब तक नहीं प्राप्त हो पायेगा जब तक कि पोर्टल के माध्यम से संबंधित संस्थानों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए सूचना की समीक्षोपरांत विभागीय आदेश प्राप्त ना हो जाए।
- NAAC के न्यूनतम ग्रेड-C अथवा NIRF के वार्षिक रैंकिंग में संस्थान के नाम अथवा NBA द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों से संबद्धता प्राप्त संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं है परन्तु उक्त संस्थानों के लिए इस विज्ञापन में वर्णित कंडिका-3 के बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्य है।

प्रभारी पदाधिकारी,  
SPMU, BSCC

अपर सचिव  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

Email Id- spmubsc@bihar.gov.in | Ph. No.- 0612-2230059

पत्रांक— SPMU/05/2019-Part-II- 147

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सज्जन आर० सा० प्र० से०  
अपर सचिव—सह—नोडल पदाधिकारी,  
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पटना।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जन—सम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक: 30/04/2025

विषय— बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रचार—प्रसार के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रचार—प्रसार राज्य के अंदर के दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाना है ताकि आम जन—मानस को योजना के प्रावधानों से अवगत कराया जा सके।

अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के विज्ञापन को माह मई एवं जून 2025 में बारी—बारी से राज्य के अंदर सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक— यथोक्त।

विश्वासभाजन

Signed by

Sajjan Rajasekar

Date: 29-04-2025 21:13:21

(सज्जन आर०)

अपर सचिव—सह—नोडल पदाधिकारी,  
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पटना।